



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

Fax: 0141-2385027(O), E-Mail ID: rajpr\_dsplan@rediffmail.com

क्रमांक:एफ.4(0)परावि/आप्र/डीपीसी/15/1279

जयपुर, दिनांक: 29/6/2015


::आदेश::

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 (सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 350) के अनुसरण में जिला बीकानेर के लिए जिला आयोजना समिति का निम्नानुसार गठन/पुनर्गठन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य	निर्वाचित / नामित
1.	श्रीमती सुशीला	अध्यक्ष	-
2.	श्री बालू राम	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र)
3.	श्रीमती निपुण	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र)
4.	श्री गिरधारी सिंह	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र)
5.	श्री कमल कुमार पन्नु	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र)
6.	श्री रेखा राम	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र)
7.	श्रीमती शुभकंवर	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र)
8.	श्री हरचन्द	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र)
9.	श्री मदन मोहन	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र)
10.	श्री सतु खान	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र)
11.	श्रीमती सुनीता नायक	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र)
12.	श्रीमती सुमन	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र)
13.	श्रीमती पार्वती गोदारा	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र)
14.	श्री बुधाराम	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र)


जिला आयोजना समिति में निर्वाचित 20 सदस्यों के अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें जिले के जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद स्थाई सदस्य हैं। दो सदस्यों (माननीय लोक सभा/विधान सभा/गैर स्वयं सेवा संस्था के सदस्यों) का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। मुख्य आयोजना अधिकारी जिला आयोजना समिति के सचिव रहेंगे।

जिला परिषद एवं स्थानीय निकायों के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किये गये सदस्य जिला आयोजना समिति के तब तक ही सदस्य रहेंगे जब तक वे जिला परिषद/स्थानीय निकाय के सदस्य रहते हैं। शहरी क्षेत्र के सदस्यों के निर्वाचन के उपरान्त संशोधित आदेश जारी किये जावेंगे।

  
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जिला बीकानेर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर।
7. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर।
8. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला बीकानेर को भेजकर लेख है कि जिला आयोजना समिति के सभी सदस्यों को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

  
**संयुक्त शासन सचिव**  
**जिला आयोजना**

क्र.सं.	पंचायत	पंचायत	पंचायत	पंचायत	पंचायत
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...

उक्त पंचायतों के संबंध में जिला आयोजना समिति के सदस्यों को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

...